भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2876
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

हिमाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात

2876. **श्री हर्ष महाजनः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर ऊना और हमीरपुर जैसे जिलों में, बाल लिंगानुपात के रुझानों के बारे में जानकारी है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के रुझान सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या सरकार उन जिलों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान को और तेज़ करने का विचार रखती है जहाँ लिंगानुपात खराब या स्थिर है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है; और
(घ) हिमाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन को मजबूत करने और राज्य अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाल लिंगानुपात (सीएसआर) तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और

सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार किया गया है ताकि बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों को शामिल किया जा सके जिससे पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता इत्यादि सहित बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को बढ़ावा मिल सके। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार दिखाई दे रहे हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 से 2025-26 (अनंतिम) के दौरान 918 से बढ़कर 929 हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जिला-वार बाल लिंगानुपात **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : बीबीबीपी योजना के अंतर्गत बुनियादी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा एक परिचालन नियमावली तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक विषयगत कैलेंडर भी शामिल है। इसमें जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने संबंधी गतिविधियों, संवेदनशीलता अभियान, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम प्रवर्तन अभियान आदि सहित समन्वय गतिविधियों का सुझाव दिया गया है। इसमें बालिका के समग्र विकास के लिए माह-वार विशिष्ट विषय निर्धारित किए गए हैं, ताकि वर्ष-भर बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में प्रशिक्षण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग के तहत की जाने वाली गतिविधियों में पोषण एवं स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता प्रसार, किशोरियों में रक्ताल्पता (एनीमिया) की रोकथाम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ करना, विद्यालय स्वास्थ्य प्रचारक (एम्बसडर) पहल का कार्यान्वयन, व्यापक यौन शिक्षा पर जागरूकता प्रसार सत्र आयोजित करना तथा समुदायों को गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम और गर्भ का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के बारे में जागरूक करना शामिल है।

हिमाचल प्रदेश सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का निरंतर कार्यान्वयन कर रही है। इसके साथ ही जागरूकता एवं आईईसी गतिविधियां, बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा

प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, बालिका के जन्म के नाम पर वृक्षारोपण अभियान, राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह की रोकथाम संबंधी पहलें भी कार्यान्वित की जा रही हैं। ये सभी गतिविधियां अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष-भर संचालित की जाती हैं।

हिमाचल प्रदेश में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत आईईसी गतिविधियों और लिंग चयन के विरुद्ध जन अभियान के माध्यम से पीसीपीएनडीटी अधिनियम के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सामुदायिक जुटाव और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि बालिका के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके और बाल लिंगानुपात में सुधार हो सके।

अनुलग्नक

'हिमाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात' विषय पर श्री हर्ष महाजन द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2876 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश के जिलों में बाल लिंगानुपात</u>

क्र.सं.	जिले का नाम	बाल लिंग अनुपात				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	बिलासपुर	962	966	952	960	940
2	चंबा	964	964	962	963	980
3	हमीरपुर	941	951	943	946	952
4	कांगड़ा	913	915	921	922	923
5	किन्नौर	1005	978	987	974	967
6	कुल्लू	975	979	992	971	983
7	लाहौल और स्पीति	1010	952	949	962	941
8	मंडी	938	939	940	942	944
9	शिमला	993	996	997	992	998
10	सिरमौर	967	971	958	954	959
11	सोलन	937	948	923	935	969
12	ऊना	937	949	936	938	928

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार।